न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 114/2019 – निगरानी

1. नारायण लाल पिता रामलाल गुर्जर निवासी रामपुरिया ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. अयुब पिता अमरूदीन मेहरात निवासी चमनपुरा ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत चमनपुरा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा क्र० 20 दिनांक 03.10.2011

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री शिवसिंह चारण अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.11.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार के अधिकार एवं आधिपत्य का पुश्तैनी मकान ग्राम रामपुरिया ग्राम पंचायत चमनपुरा में नपती 50 बाई 100 फीट का स्थित है, जिसके पड़ौस – पूर्व आम रास्ता, पश्चिम– भीलवाड़ा से देवली सड़क, उत्तर में जैतुन पत्नि हनिफ मोहम्मद (नानू गुर्जर का तलिया जिसे वर्तमान में जैतुन पत्नि हनिफ मोहम्मद ने क्रय कर लिया है।) दक्षिण में ओम प्रकाश भाटी (सुलतान का तलिया जिसे वर्तमान में ओम प्रकाश भाटी ने क्रय कर लिया।) उक्त पड़ौसो के मध्य स्थित मकान निगराकार का पुश्तैनी मकान है जिस पर निगराकार अपने पुर्वजों के समय से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त मकान का ग्राम पंचायत चमनपुरा द्वारा निगराकार के पिता श्री रामलाल जी के नाम पर दिनांक 12.01.86 को पुश्तैनी पट्टा संख्या 11 जारी किया गया, जिस पर निगराकार ने चार दिवारी बनाकर गेट लगा रखा है तथा मकान का निर्माण कर रखा है। भूखण्ड पर निगराकार के कृषि उपकरण व घास आदि रखे हुए है तथा

25.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार अपने पशु आदि भी यही बांधता है। विवादग्रस्त भूखण्ड पर कभी भी गैर निगराकार नं. 1 का उपयोग उपभोग नहीं रहा है न ही गैर निगराकार नं 1 ने इस भूखण्ड पर कोई निर्माण ही करा रखा है। विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने के लिए गैरनिगराकार नं. 1 ने कोई आवेदन गैर निगराकार संख्या 2 के यहां पेश नहीं किया व न ही नियमानुसार मौका निरीक्षण शुल्क जमा कराया। नियमानुसार पत्रावली कायम नहीं की व न ही पंचायती राज अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार प्रक्रिया ही अपनायी गई। नियमानुसार तीन वार्ड पंचों की कमेठी गठित कर विवादित स्थल की मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी गई व न ही सचिव द्वारा मौके का नक्शा तैयार किया गया। यदि वास्तव में ही विवादग्रस्त भूखण्ड का मौका देखा जाता तो निगराकार का मौके पर कब्जा होना रिपोर्ट में आता व निगराकार को भी जानकारी हो जाती एवं मौके की स्थिति का रिपोर्ट में अंकन करते लेकिन वास्तव में पट्टा जारी करने से पूर्व विवादग्रस्त भूखण्ड का मौका नहीं देखा गया। निगराकार ने इस भूखण्ड पर बने मकान में विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। नियमानुसार स्थल निरीक्षण हेतु निरीक्षण शुल्क जमा नहीं कराया। इस प्रकार पंचायती राज नियम 145 की पालना नहीं की गई। विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक रूप से आपत्तियां नहीं मांगी गई। विवादित पट्टे की जानकारी निगराकारक को दिनांक 25.07.2016 को उस समय हुई जब गैर निगराकार नं. 1 ने आकर निगराकार को धमकी दी कि विवादित भूखण्ड का पट्टा गैरनिगराकरनं. 1 के पास है व उस पट्टे की ग्राम पंचायत चमनपुरा द्वारा पंजीयन भी करा दिया है इस कारण वह इस भूखण्ड को तुरन्त खाली कर दे वरना गैर निगराकार नं. 1, निगराकार को जबरदस्ती भूखण्ड से बेदखल कर देगा। इस पर निगराकार ने उपपंजीयक बनेडा से जानकारी कर विवादित पट्टे व रजिस्ट्री की नकल प्राप्त करने के लिए दिनांक 01.08.2016 को आवेदन पेश किया व आलोच्य पट्टे की नकल प्राप्त की। इस प्रकार जानकारी होते ही निगराकार अविलम्ब यह निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाते हुए गैरनिगराकार नं. 2 द्वारा गैर निगराकार नं. 1 के पक्ष में दिनांक 03.10.2011 को जारी पट्टा कमांक 20 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं

25.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकार के अधिकार एवं आधिपत्य का पुश्तैनी मकान ग्राम रामपुरिया ग्राम पंचायत चमनपुरा में नपती 50 बाई 100 फीट का स्थित है। विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने के लिए गैरनिगराकार नं. 1 ने कोई आवेदन गैर निगराकार संख्या 2 के यहां पेश नहीं किया व न ही नियमानुसार मौका निरीक्षण शुल्क जमा कराया। नियमानुसार पत्रावली कायम नहीं की व न ही पंचायती राज अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार प्रक्रिया ही अपनायी गई। नियमानुसार तीन वार्ड पंचों की कमेठी गठित कर विवादित स्थल की मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी गई व न ही सचिव द्वारा मौके का नक्शा तैयार किया गया। यदि वास्तव में ही विवादग्रस्त भूखण्ड का मौका देखा जाता तो निगराकार का मौके पर कब्जा होना रिपोर्ट में आता व निगराकार को भी जानकारी हो जाती एवं मौके की स्थिति का रिपोर्ट में अंकन करते लेकिन वास्तव में पट्टा जारी करने से पूर्व विवादग्रस्त भूखण्ड का मौका नहीं देखा गया। नियमानुसार स्थल निरीक्षण हेतु निरीक्षण शुल्क जमा नहीं कराया। इस प्रकार पंचायती राज नियम 145 की पालना नहीं की गई। विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक रूप से आपत्तियां नहीं मांगी गई। अतः निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाते हुए गैरनिगराकार नं. 2 द्वारा गैर निगराकार नं. 1 के पक्ष में दिनांक 03.10.2011 को जारी पट्टा कमांक 20 को निरस्त फरमाया जावें।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि गैर निगराकार 1 के हक अधिकार व आधिपत्य की पुश्तैनी जायदाद जो चमनपुरा(रामपुरिया), ग्रा0प0 बनेड़ा, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसके पड़ौस निम्नानुसार है– पूर्व में खेतो का रास्ता (सरकार पड़त) 50फीट, पश्चिम में शाहपुरा–बनेड़ा सडक 50 फीट, उत्तर मुस्ताक हनीफ का नोहरा 100 फीट व दक्षिण ओमप्रकाश भाटी 100 फीट। उक्त पड़ौसान के मध्य स्थित जायदाद जिसकी नपति 50 बाई 100 फीट होकर गैर निगराकार संख्या 01 के हक अधिकार एवं आधिपत्य की पुश्तैनी जायदाद है। जिसका आवासीय भूमि का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया और उक्त पट्टे की रजिस्ट्री ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर करवायी

25.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गई। जो कि पंजीयन तहसील बनेड़ा की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 68 मे पृष्ठ संख्या 176 की क्रम संख्या 2011002364 पर पंजीयन किया गया। उक्त जायदाद का पट्टा पूर्व मे गैर निगराकार संख्या 01 के पिता के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। जिसे असल ही पंचायत मे जमा करवाकर गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर उपरोक्त पट्टा रजिस्ट्री करवायी गई है। विवादग्रस्त भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 01 का कब्जा निरन्तर अनवरत चला आ रहा है। गैर निगराकार संख्या 01 ने सिविल न्यायाधीश महोदय, पश्चिम, भीलवाड़ा राजस्थान के समक्ष निगराकार के विरुद्ध एक वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जो कि जैर विचाराधीन है और गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा वादपत्र पेश करने के बाद निगराकार ने यह निगरानी याचिका पेश की है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत पटटे का पंजीयन तहसील बनेड़ा की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 68 मे पृष्ठ संख्या 176 की क्रम संख्या 2011002364 पर पंजीयन किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत् क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जारीशुदा पटटा संख्या 20 दिनांक 03.10.2011 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)